

गैरसायल तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या ४२/१९ राजस्थान गू राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा ९१

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

वनाम

श्री. दीपक पुत्र रतीताशम

पटवारी हल्का गिराव

जाति भट्टेश्वरी निवासी गिराव
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. १ पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराव ने धारा ९१ के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गोत्रापुर के खसरा नंम्बर ४६९ रकबा १७८ बीघा में से २५ बीघा किरम जयंतु धोप राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कारत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा ९१ आर.एल.आर. एक्ट १९५६ के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट १९५६ धारा ९१ का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का ५० गुणा जुर्माना राशि रूपये ६९ अक्षरे मुह्यार रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

टी. आर. ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक २७.०५.१९ को सरेआम सुनाया गया।

गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना ६३/ फसल नि. १७५००/-
कुल योग १७५६३/ जि. के पृष्ठ सं २६
वर्ष २०१९-२० में इन्द्राज किया गया।

गडरारोड
तहसील गजस्थ नैरवाकार